13

न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 45 / 2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

रश्मिकान्त सोनी पुत्र लेखराज सोनी, जाति–जैन, निवासी–मकान नं. 2100, चाकसू का चौक, घी वालो का रास्ता, चौकडी घाट दरवाजा, जयपुर

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी असालतन / वकालतन अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 30.07.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–सुमेल की आराजी खसरा नं0 222 रकबा 19 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमावंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज के बजाय भौरीलाल पुत्र रामनाथ के नाम दर्ज हो गई और बेचान के फलस्वरूप रश्मिकान्त सोनी के नाम दर्ज है, मूर्ति को नाबालिग माना गया है और मूर्ति की खुदकाबिज आराजी को निजि खातेदारी में नियमों के विपरीत दर्ज की गई है जो पुनः माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी खुदकाबिज के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक हाजिर आये परन्तु तत्पश्चात् अप्रार्थी के असालतन / वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Scanned by CamScanner

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाबिज दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गई, तत्पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 53 स्वीकार किया गया वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के कारण वर्तमान में अप्रार्थी रश्मिकान्त सोनी के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया इन्द्राज/हस्तानान्तरण/बेचान प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी खुदकाबिज के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज के नाम दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला

Scanned by CamScanner

व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी बहतमाम पुजारी भौरीलाल पुत्र रामनाथ, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाबिज की भूमि का इन्द्राज पुजारी भौरीलाल के नाम तत्पश्चात विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में निजी खातेदारी रश्मिकान्त सोनी अप्रार्थी के नाम दर्ज है जो न्यायसंगत नहीं है। बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये भौरीलाल पुत्र रामनाथ के हक में किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का तथा इसके पश्चातवर्ती के इन्द्राजों को राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी खुदकाबिज के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारान को दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पावन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner